ज्ञापांक 53 /गो0

पुलिस महानिदेशक का कार्यालय, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक :-23/04/2018

सेवा में,

सभी वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक (रेल सहित),
बिहार ।

विषय :-साम्प्रदायिक मामलों के अनुसंधान एवं निस्तारण के संबंध में ।

रामनवमी, 2018 के अवसर पर देखा गया कि कई स्थानों पर साम्प्रदायिक तनाव उत्पन्न हुआ और उसका शमन करने में पुलिस एवं प्रशासन को काफी श्रम करना पड़ा । बाद में समीक्षा से पता चला कि ऐसी स्थिति दुर्गापूजा, 2017 के अवसर पर उत्पन्न हुई थी तथा इस संबंध में बड़ी संख्या में काण्ड अंकित किए गए थे । प्रायः जो लोग दुर्गापूजा के समय तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न करने में सक्रिय थे, उनकी भूमिका रामनवमी के अवसर पर हुई घटनाओं में संदिग्ध है । यह भी कि दुर्गापूजा तथा उसके अतिरिक्त काफी संख्या में साम्प्रदायिक प्रकृति के मामले अनुसंधान में लम्बित हैं एवं उसमें प्रभावी गिरफ्तारी एवं आरोप-पत्र की कार्रवाई न करने के कारण शरारती तत्वों का मनोबल बढ़ता जा रहा है ।

2. अतः यह अपेक्षित है कि पूर्व के साम्प्रदायिक प्रकृति के सभी लम्बित मामलों की गहराई से समीक्षा की जाए एवं साक्ष्यों के आधार पर पहचान किए गए संलिप्त तत्वों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करते हुए आरोप-पत्र समर्पित किया जाए । ध्यान देने योग्य है कि जिन व्यक्तियों के विरूद्ध अच्छा साक्ष्य हो और जिनकी सक्रियता रही हो, वे किसी भी स्थिति में न छूटे । अज्ञात भीड़ में से दोषियों के पहचानने के नाम पर आरोप-पत्र समर्पित करने में विलम्ब नहीं होना चाहिए अन्यथा शरारती तत्वों का मनोबल बढ़ता है और वे सक्रिय बने रहते हैं ।

3. आपको आदेश दिया जाता है कि 01 माह के अन्दर सभी लम्बित साम्प्रदायिक प्रकृति के काण्डों का अनुसंधान विशेष अभियान चलाकर पूरा करें और विशेष अभियान के रूप में दोषी पाए गए व्यक्तियों की गिरफ्तारी तथा काण्डों में अभियोजन स्वीकृत्यादेश प्राप्त कर आरोप-पत्र समर्पित करें ।

4. थाना में संधारित अपराध निर्देशिका भाग-3 में सक्रिय साम्प्रदायिक तत्वों के संबंध में प्रवृष्टि की जाए तथा काण्डों में आरोप-पत्र के अतिरिक्त यथा समय उनके विरूद्ध सी.सी.ए./दं.प्र.स. के अन्तर्गत निरोधात्मक कार्रवाई की जाए ।

5. पुलिस हस्तक नियम, 1978 के नियम 1315, 1316, 1317 में गुण्डा, गुण्डा पंजी एवं गुण्डों पर निगरानी रखने का विस्तृत प्रावधान है । तद्नुसार सक्रिय साम्प्रदायिक तत्वों पर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए ।

दिनांक-05.06.2018 तक इस आदेश का अनुपालन प्रतिवेदन मेरे अवलोकनार्थ प्रेषित करने का कष्ट करें, जिसमें लम्बित एवं निष्पादित काण्डों का विवरण तथा अन्य की गई कार्रवाई का स्पष्ट उल्लेख करेंगें । सभी क्षेत्रीय पुलिस उप-महानिरीक्षक (रेल सहित) अपनी व्यक्तिगत देख-रेख में इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे और पुलिस अधीक्षक के अनुपालन पर अपनी टिप्पणी देंगे ।

14/5/18

पुलिस महानिदेशक,
बिहार, पटना ।

प्रतिलिपि :- 1. अपर पुलिस महानिदेशक (विधि-व्यवस्था/रेलवे/अपराध अनुसंधान विभाग), बिहार, पटना को सूचनार्थ ।
2. सभी प्रक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक, बिहार को सूचनार्थ ।
3. सभी क्षेत्रीय पुलिस उप-महानिरीक्षक (रेल सहित) बिहार को सूचनार्थ एवं अनुपालन हेतु कृपया ।

23/5/18

पुलिस महानिदेशक,
बिहार, पटना ।